

दिल्ली विकास प्राधिकरण
सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली-110049
नीलामी आमंत्रण सूचना संख्या 601/एसएफएससी/डीडीए
(जैसा है वहीं आधार है)

No. SP/SFSC/0007/2024/F1/SFSC/364

Date: 17/06/2025

सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद पुराने बेकार मल्टीजिम उपकरण जैसे जिम प्लेट, डंबल, ओलंपिक बार, एल्युमिनियम स्कैप, आयरन स्कैप, लकड़ी स्कैप, एसएस स्कैप, बागवानी स्कैप, इलेक्ट्रिकल आइटम जैसे प्रिंटर, मॉनिटर और ट्रैक्टर एचएमटी आदि की नीलामी की जाएगी। इन वस्तुओं का निरीक्षण एसएफएससी की नीलामी स्थल पर 26 जून और 27 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच किया जा सकता है।

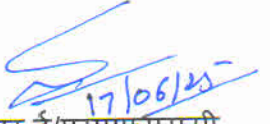
बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को कैशियर (एसएफएससी) के पास नकद में 10000/- रुपये बयाना राशि के रूप में जमा कराना होगा, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस कर दी जाएगी, सिवाय उच्चतम बोलीदाता के जिसे 10000/- रुपये की बयाना राशि को एहतियात के तौर पर समायोजित करने के बाद जीएसटी को छोड़कर प्रस्तावित राशि का 25% जमा करना होगा। कुल प्रस्तावित राशि का 75% शेष राशि बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/नकद के माध्यम से "सीएयू (खेल), डीडीए" के पक्ष में मांग/स्वीकृति पत्र जारी होने या उसके किसी विस्तार की तारीख से 20 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी एहतियात राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी।

आयुक्त (खेल), डीडीए को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

नीलामी स्थल : सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
दिनांक और समय : 28 जून 2025, सुबह 11.00 बजे

स्थितियाँ:

1. विभाग द्वारा कोई भी टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
2. कार्य अवधि के दौरान या सामान हटाने के दौरान यदि कोई नुकसान/क्षति/चोट/दुर्घटना होती है तो एजेंसी जिम्मेदार होगी। एजेंसी ए.ई. (सिविल), ए.ई. (इलेक्ट्रिकल) और ए.डी. (हॉर्ट.), मैनेजर, एसएफएससी के आदेश/निर्देशों के अनुसार सामान उठाएगी।
3. बोली की वैधता नीलामी की तारीख से 30 दिन तक होगी।
4. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा और किसी भी मंच के समक्ष किसी भी प्रश्न पर विचार किया जाएगा।
5. एजेंसी/ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. लागू जीएसटी अतिरिक्त लिया जाएगा।
7. सामग्री उठाने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा।
8. यदि निर्धारित अवधि के भीतर सामग्री नहीं उठाई जाती है तो उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।


17/06/25
आर.ई/एसएफएससी

Copy to:-

1. आयुक्त खेल, डीडीए।
2. निदेशक (सिस्टम) डीडीए वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. अध्यक्ष नीलामी समिति।
4. सीनियर ए.ओ. (खेल), डीडीए।
5. सभी खेल परिसरों के सचिवों से अनुरोध है कि वे परिसरों के इस नीलामी नोटिस बोर्ड को प्रदर्शित करें।
6. कृपया जानकारी के लिए ए.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स)/एसएफएससी, ए.डी. (बागवानी)/एसएफएससी और एएओ/एसएफएससी से संपर्क करें।
7. नोटिस बोर्ड/एसएफएससी।


आर.ई/एसएफएससी